उत्तर प्रदेश सरकार

संस्कृति अनुभाग

फाइल ... III-17 68 916

संख्या :- 3584 / चार- —————— / 2023

लखनऊ : दिनांक : 29.8.2023

प्रथम अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एव ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर, यथा–प्रयोज्य, एन्शियन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या –7, 1904) की धारा –3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं :–

अनुसूची

क्र0 स0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल एकड/ हेक्टे0 में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	ग्राम– अलावलपुर परगना– हरगाँव तहसील– सदर	शिव मंदिर, अलावलपुर	375	0.044 हेक्टेयर	**उत्तर** – खाली भूमि गाटा संख्या 375 व आवादी **दक्षिण** – गाटा सं0 378क, 378ख, 378ग, एवं अजय प्रकाश, विजय प्रकाश, सुशील कुमार सिंह आदि का चक एव ठाकुर द्वारा **पूर्व** – चक मार्ग के बाद ओंकार, वेद प्रकाश, प्रदीप आदि का चक गाटा सं0 379 **पश्चिम** – गाटा संख्या 375 के अंश के बाद गाटा संख्या 376 एवं पक्की सडक

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव

..09.23

Scanned by CamScanner

संख्या 3584 (1)/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को स्मारक पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाने एवं यदि कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्राप्त होती है तो उसे शासन को प्रेषित करें।
4– मण्डलायुक्त, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, सीतापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हो, तो अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजने का कष्ट करें।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, ।
7– अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त विज्ञाप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner